भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2503

जिसका उत्तर गुरुवार, 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है

न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाया जाना

2503 श्री सुशील कुमार गुप्ता :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि संविधान में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा ;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या उपाय किये गए हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा न्यायपालिका जैसी सम्मानित संस्थाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग है यह प्रावधान करता है कि राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा । हमारा संविधान भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्थापित करता है और तदनुसार सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती है ।

****